an>

Title: Introduction of the Gymnasiums and Fitness Centres (Regulation) Bill, 2016.

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जिम्नेजियम तथा फिटनेस सेंटरों, जोकि भारोत्तोलन एवं शारीरिक सौष्ठव संबंधी प्रशिक्षण देने और वजन कम करने तथा उचित पोषण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने जैसी गतिविधियों में संलग्न हो, के विनियमन और नियंत्रण तथा तत्संसक्त और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of gymnasiums and fitness centres which are engaged in activities, such as imparting training on weight lifting and body building and conduct courses for weight reduction and proper nutrition in the country and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।